न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

राज. सरकार बनाम : सुनाव

मु.नं.– 43/24 किस्म – धारा 131 LR Act

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.01.26 अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.02.26 को पेश हो।

13.02.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार मण्डावर उपस्थित। प्रा.पत्र धारा 131 पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र धारा 131 LR Act दिनांक 12.3.26 को पेश हो।

13.2.26

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12.3.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
43/2024	25.06.2024	12.03.2026

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब पुत्र श्रीचन्द, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जल्ली पत्नी स्व. श्रीचन्द, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. नहन्या पुत्र श्रीचन्द, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. रूपसिंह पुत्र श्रीचन्द, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. रामभरोसी पुत्र श्रीचन्द, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. अजीतसिंह पुत्र रमसी उर्फ रामसहाय, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. अमरसिंह पुत्र रमसी उर्फ रामसहाय, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. पूनी पत्नी रमसी, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम उकरूंद पटवार हल्का उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार आराजी के खसरा सं. 880, 881, 882 किस्म चाही 1 में से 0.059 हैक्टे., को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी सहखातेदारों गुलाब पुत्र श्रीचन्द को तथा अन्य के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अपना पक्ष दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। खातेदारान द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मण्डावर ने इस प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरों के खातेदार ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 880, 881, 882 किस्म चाही 1 कुल रकबा 0.48 हैक्टे. में से 0.059 हैक्टे. वाके राजस्व ग्राम उकरूंद, पटवार हल्का उकरूंद, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

5. राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक–पं.3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम उकरूंद पटवार हल्का उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार, आराजी खसरा सं. 880, 881, 882 किस्म चाही 1 कुल रकबा 0.48 हैक्टे. में से 0.059 हैक्टे., को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 12.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)